Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Jamabandi Cancellation Revision Case No.-143/2024]
Shakuntala Devi and Others.....Petitioner.
Versus
Rajendra Tatma and Others.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.3.2026	**आदेश** यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द अपील वाद सं0-40/2022 में दिनांक-22.11.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी ।LCRप्राप्त है। प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-	

खाता	जमाबंदी संख्या
328, 329	327

दिनांक-13.3.2026को उभय पक्ष के Final Argumentको सुना। तथाअभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ताका अभिकथन वाद पत्र में अंकित है ।पुनरीक्षणकर्त्ता एवं विपक्षीगण की ओर से लिखित बहस दाखिल है।

Petitionerके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि साबिक खतियान के खाता संख्या-328 के 22 खेसराओं का कुल रकवा 9 ए. 83 डी. तथा खाता संख्या-329 के तीन खेसराओं का कुल रकवा 01 ए. 30 डी. जमीन सोमी ततमा वल्द वंशी ततमा वगैरह के नाम से दर्ज है। उनका कहना है कि साबिक खतियान के खाता संख्या-328 एवं 329 का कुल रकवा 07 ए. 31 डी. जमीन खतियानी रैयत सोमी ततमा, पिता-वंशी ततमा ने निबंधित केवाला संख्या-271 दिनांक-30.1.1929 के माध्यम से मुशहरू प्रधान को बिक्री कर दिया गया। उनका कहना है कि खाता संख्या-328 एवं 329 की शेष जमीन रेंट सूट में दिनांक-17.2.1941 में सक्षम न्यायालय द्वारा नीलाम कर दिया गया। नीलामी के उपरांत भूतपूर्व जमींदार द्वारा दिनांक-17.12.1942 को पुनरीक्षणकर्त्ता के दादा स्व0 देवनन्दन मंडल को विधिवत बन्दोबस्ती किया गया। तदनुसार जमींनदारी सिरिस्ता में देवनंदन मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या-45 दर्ज हुआ। उनका कहना है कि इस तरह बंदोबस्ती जमीन का कुल रकवा 05 ए. 75 डी. होता है। उनका कहना है कि मुसहरू प्रधान द्वारा अपने खरीदी हुई जमीन को देवनंदन मंडल, रमेशचन्द्र मंडल तथा नवलकिशोर मंडल के पक्ष में निबंधित वाजदावा संख्या-2793 दिनांक-18.4.1963 के माध्यम से खाता संख्या-328 के 09 खेसराओं का कुल रकवा 05 ए. 38 डी. जमीन का वाजदावा निष्पादित किया गया। उनका कहना है कि स्व0 देवनंदन मंडल के नाम से चल रहे जमाबंदी संख्या-45 तथा उसके उपरांत वाजदावा से प्राप्त जमीन का आपसी बंटवारा के आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता के परिवारिक नाम से जमाबंदी संख्या-800, 801, 613, 791, 769, 45 एवं 603 कायम हुआ। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन पुनरीक्षणकर्त्ता एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम से भिन्न-भिन्न जमाबंदी विगत 70 वर्षों से कायम है। तथा उन भूमियों पर उनका विधिवत दखल-कब्जा चलता आ रहा है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालयों के स्तर से इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि भूतपूर्व जमींदार द्वारा मौजा ग्वालपाड़ा के पुराना खाता संख्या-328 की 5.31 ए. तथा खाता संख्या-329 की 1.36 ए. जमीन दिनांक-17.12.1942 को देवनंदन मंडल, पे0-रामकिशुन

	30.3.2026	मंडल को बन्दोबस्त कर दिया गया था। तथा उस पर दखल भी दिला दिया था। जिसके उपरांत भूतपूर्व जमींदार के सिरिस्ता में देवनंदन मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या-45 कायम हुआ। उनका कहना है कि जमींदारी उनमूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदार द्वारा मौजा-ग्वालपाड़ा के 11-04-04 धूर जमीन का रिटर्न देवनंदन मंडल के नाम से समर्पित किया गया। जिसके अधार पर बिहार सरकार के सिरिस्ता में उनके नाम से जमाबंदी कायम हुआ। उनका कहना है कि सोमी ततमा के नाम से तथाकथित वर्ष 1941-42 में समर्पित शेष रिवेल्यूएशन व वेस्टिंग रिटर्न को आधार मानकर संदिग्ध जमाबंदी संख्या-327 को सही मान लिया गया। तथा पुनरीक्षणकर्त्ता की वैध जमाबंदी संख्या-613 एवं 791 का अवैध रूप से फर्जी करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया गया। उनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी का कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता का यह दावा गलत है कि खतियानी रैयत सोमी ततमा, पिता-बंशी ततमा द्वारा केवाला नं.-271 दिनांक-30.1.1929 के माध्यम से मुशहरू प्रधान को 08-16-19 धूर जमीन का विक्री किया गया था। उनका कहना है कि जमाबंदी रिटर्न खाता संख्या-328 में 11-12-10 धूर तथा खाता संख्या-329 में रकवा 01-11-18 धूर जमीन खतियानी रैयत के नाम से दिया गया है। उनका कहना है कि 30.1.1929 को तामिल दस्तावेज विक्री दस्तावेज नहीं है बल्कि सुदभरना दस्तावेज है। उनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण प्रथम पक्ष की जमीन कभी नीलाम नहीं हुआ तथा यह कि देवनंदन मंडल के नाम से बंदोबस्ती होने का तथ्य सही नहीं है। उनका कहना है कि देवनंदन मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या-45, रकवा-5 ए. 75 डी. फर्जी व जाली है। उनका कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता का यह दावा कि मुशहरू प्रधान को 08-16-19 धूर जमीन का विक्री किया गया तथा देवनंदन मंडल को 06-04-10 धूर बंदोवस्त किया गया। अर्थात कुल रकवा-15-01-09 धूर होना बतलाया गया है। जबकि खतियान व रिटर्न के अनुसार विपक्षी के पूर्वजों के नाम से रकवा 12-15-08 धूर ही होता है। उनका कहना है कि इस प्रकार नीलाम होने तथा मुशहरू प्रधान को विक्री होने का कथन सही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा निबंधित वाजदावा संख्या-2793 दिनांक-18.4.1963 से वाजदावा के माध्यम से 05 ए. 38 डी. जमीन प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। किंतु वाजदावा से किसी को राइट व टाईटल प्राप्त नहीं होता है। उनका कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा फर्जी केवाला दर केवाला के माध्यम से जमाबंदी कायम करवाकर विपक्षी के रैयती भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि सोमी ततमा के नाम से जमाबंदी संख्या-327 जमींदारी काल से ही कायम थी। तथा यह कि जमींदारी उन्मूलन पश्चात 2012-13 तक मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि वेस्टिंग रिटर्न के आधार पर जमाबंदी संख्या-328, 329 के अलावे 327 की कुल रकवा-16-08-14 धूर जमीन से सोमी ततमा के नाम से अभिलेखागार, सहरसा से निर्गत है। उनका कहना है कि इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा जमाबंदी संख्या-327 को सही पाते हुए आदेश पारित किया गया है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित वाद पत्र, Reply/Rejoinderआदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitionerकी ओर से प्रश्नगत जमाबंदी संख्या-327 के खाता संख्या-328 और 329 से उनके पूर्वज को नीलामी एवं वाजदावाके माध्यम से प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी की ओर से जमाबंदी संख्या-327 के प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। सुनवाई में उपस्थापित साक्ष्यों/कागजातों के आधार पर Petitionerका दावा स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। सुनवाई में Petitionerकी ओर से निम्न न्यायालयके अपीलाधीन आदेश में कानूनी अथवा तत्यात्मक त्रुटि स्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से संगत तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

	30.3.2026	किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस Revision वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 30/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 30/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	